न्यायालय अपर जिल जज, कोर्ट संख्या 05, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या 100/2021

शिव दुर्गा मंदिर **बनाम** अंकुर चौधरी आदि

02.11.2023–

1– पत्रावली पेश हुई। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

2– प्रार्थी/विपक्षीगण संख्या 01 ता 02 की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि, उक्त वाद में आज तक भी प्रार्थीगण को वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। वादीगण द्वारा अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त सार्वजनिक मंदिर की और से विपक्षीगण के प्रवेश को निषेध करने हेतु उक्त वाद योजित किया है, जबकि वादीगण को उक्त वाद योजित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं उक्त वाद पोषणीय नहीं है। जिसके संबंध में प्रार्थी को समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करवाया जाना अति आवश्यक है ताकि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकें। उक्त सरकारी भूमि की कीमत करीब 4 करोड़ रूपये हैं, अतः उक्त प्रयोजन हेतु समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करवाये जाने की याचना की गयी है।

3– सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिहँ, एडवोकेट इस वाद में नियुक्त है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद पत्र एवं अन्य समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना की है। न्यायहित में विपक्षीगण संख्या 01 व 02 को वाद पत्र एवं अन्य समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति दिया जाना उचित प्रतीत होता है तथा वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षीगण संख्या 01 व 02 को वाद पत्र एवं अन्य समस्त प्रपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.11.2023 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा II)
अपर जिला जज, कोर्ट संख्या 05,
गाजियाबाद।